

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,

मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.स्था.3 / भाग-2 / 537 / 2019 / 16984  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/6/19

1. समस्त संभागीय उपायुक्त,  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,  
मध्यप्रदेश
2. समस्त सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला संयोजक,  
आदिम जाति कल्याण विभाग,  
मध्यप्रदेश

विषय:-जाति प्रमाण पत्र एवं e-KYC के कारण नवीन शिक्षक संघर्ग में संविलियन न होने के संबंध  
में दिशा निर्देश ।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क. शिक्षा स्था3-4 / 2019 / 16816 दिनांक 26.6.2019

—00—

कृपया विषयांतर्गत कलेक्टर को प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । जिसके द्वारा नवीन  
शिक्षक संघर्ग में संविलियन न होने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । आपके जिले में  
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओ.बी.सी. वर्ग के अध्यापकों के डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्राप्त न  
होने से उन्होने नवीन शिक्षक वर्ग में संविलियन हेतु सामान्य वर्ग में पंजीयन कराया गया है । जिन  
शिक्षकों द्वारा आज दिनांक तक डिजिटल जाति प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं उनके  
संविलियन आदेश जारी हो चुके हैं की जानकारी संलग्न प्रपत्र में तत्काल उपलब्ध करावे ।

अपर सचालक,  
आदिवासी विकास विकास,  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28/6/19

पृ. क्रमांक / शि.स्था.3 / भाग-2 / 537 / 2019 / 16985

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) मध्यप्रदेश ।

अपर सचालक,  
आदिवासी विकास विकास,  
मध्यप्रदेश

प्रपत्र